न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)
I.DNo-UP 5743
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–879/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2008/2026
CNR UPLP 010045242026

मोनू मिश्रा उर्फ मनीष कुमार उम्री करीब 44 वर्ष पुत्र चन्द्रमोहन निवासी ग्राम अटकोहना थाना शारदानगर, जनपद लखीमपुर खीरी।

बनाम

उ0प्र0राज्य

मु0अपराध संख्या–153/2026
धारा 8/20/29/60 एन0डी0पी0एस0एक्ट
थाना–फरधान, जिला लखीमपुर खीरी।

08.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी/अभियुक्त मोनू मिश्रा उर्फ मनीष कुमार की ओर से मु0अपराध संख्या–153/2026 अं0धारा 8/20/29/60 एन0डी0पी0एस0एक्ट थाना–फरधान, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार दिनाक 09.05.2026 को उ0नि0 जुनैद खां व उ०नि० अरून कुमार गिरि मय हमराह हे० का० सुदीपचन्द का० गोविन्द कुमार का० जितेन्द्र कुमार का० विकास के मय सरकारी वाहन मय चालक हे0का0 प्रमोद कुमार हमराह के थाना हाजा से GD No 05 समय 00:43 बजे पर रवाना होकर वास्ते रात्रि गस्त रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित/वारण्टी में मामूर होकर कस्बा फरधान होते हुये ओदरहना पुल पहुंचकर लीला कुंआ की तरफ जा रहे थे कि मुखबिर ने आकर बताया कि एक काले रंग की बुलेट मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति जिनमें मोटर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति सफेद शर्ट व नीली जीन्स तथा पीछे बैठा व्यक्ति चौकदार नीली शर्ट व नीली जीन्स पहने हुये है यदि जल्दी किया जाये तो इन्हें पकड़ा जा सकता है वह दोनों लीला कुआं की तरफ से कालाडुण्ड नहर पुलिया की तरफ आने वाले है। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस वाले मय

अपनी तलाशी हे0का0 प्रमोद कुमार से कराकर अन्य सभी फोर्स की तलाशी स्वंय लेकर इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है तथा मौके से ही जरिये दूरभाष सूचना से उच्चाधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक व SOG टीम को दी गयी। SOG टीम जो पूर्व से कार्य सरकार में गुमचीनी गांव के पास मौजूद होना बताते हुये आने की बात कहे। पुलिस वाले मय मुखबिर के उसकी सूचना पर विश्वास कर उसके द्वारा बताये रास्ते से चलते हुये कालाडुण्ड नहर पुल के नजदीक पहुंचे ही थे कि सामने से एक काले रंग की बुलेट पर दो व्यक्ति लीला कुआ की तरफ से आते दिखाई दिये जिन्हें देखकर मुखबिर ने बताया कि बुलेट पर आने वाले वही दोनों व्यक्ति है जो गांजा लेकर आ रहे हैं और मुखबिर गाड़ी से उतर कर चला गया। पुलिस वाले तत्काल गाड़ी से उतरकर उक्त मोटर साइकिल व चालक को नजदीक आने पर रोकना चाहा कि उन दोनों की नजर पुलिस वालों पर पड़ी तो वह दोनों घबरा/सकपका कर मोटर साइकिल को एकदम पीछे मोड़ कर भागना चाहे कि इसी समय SOG प्रभारी जय प्रकाश यादव मय अपनी टीम के हे0का0 मनीष यादव हे०का उमेश मिश्रा हे0का0 सत्यप्रकाश के मय अपने वाहन मय चालक हे0का0 संजय कुमार के बुलेट के पीछे पीछे नजदीक आ गये थे। बुलेट चालक व उसमें बैठा व्यक्ति जब दोनों तरफ से अपने आपको घिरा देखे तो बुलेट रोक दिये जिन्हें तत्काल दोनों तरफ से घेर घार कर मौके पर उन्हें रोक लिया गया दोनों के पास एक एक थैला भी है एक थैला चालक अपने पेट से लगाकर बुलेट की टंकी पर रखे हुये है पीछे बैठा व्यक्ति चालक की पीठ व अपने पेट के बीच थाम कर बैठा हुआ है। दोनो व्यक्तियो से उनका नाम पता पूछते हुये भागने का कारण पूँछा गया तो दोनों ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए बताया कि हम दोनों के पास पाँच पाँच किलो अवैध गांजा है जिसे हम दोनो ने मिलकर भूपेन्द्र सिंह मो0नं0 9170494291 निवासी झूसी प्रयागराज से खरीद कर अपनी मोटर साइकिल से लेकर आ रहे है तथा मोनू मिश्रा उर्फ मनीष मिश्रा को देने (विक्री करने) जा रहे हैं मोनू मिश्रा उर्फ मनीष मिश्रा से हम लोगों की बात हुयी है वह गोला रेलवे स्टेशन रोड पर मिलने की बात कही है। दोनों व्यक्तियों के पास गांजा होने की बात पर उ0नि0 द्वारा जरिये दूरभाष प्रभारी निरीक्षक की राजू राव व राजपत्रित अधिकारी क्षेत्राधिकारी सदर के अवकाश होने पर उक्त सूचना लिंक क्षेत्राधिकारी मितौली को दी गयी तथा प्रभारी निरीक्षक राजू राव द्वारा भी जरिये दूरभाष सूचना क्षेत्राधिकारी मितौली को दी गयी व दोनों व्यक्तियों की

तलाशी हेतु मौके पर आने की बात कही गयी। बुलेट चला रहे व्यक्ति जो दोनों हाथों से हैंण्डिल पकड़े है दोनों हाथों के मध्य बैग रखे है, ने अपना नाम विवेक तिवारी पुत्र कन्हैया लाल तिवारी नि० चन्द्रानी हास्पिटल के पीछे मो० आनन्द नगर सलेमपुर कोन थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी एवं पूर्व पता बह्मपुरी रोटी गोदाम RMP डिग्री कालेज के पीछे को0 सदर जनपद सीतापुर मूल पता ग्राम मानपुर घाट मोहल्ला मेड़ियन टोला थाना तम्बौर जनपद सीतापुर बताया तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम शिवा उर्फ प्रियांशु अवस्थी पुत्र शैलेन्द्र कुमार अवस्थी नि० चैनपुरवा मजरा अजयपुर पोस्ट अजयपुर थाना तम्बौर जनपद सीतापुर बताते हुये बताया कि हम दोनों मोनू मिश्रा उर्फ मनीष मिश्रा से काफी दिन पहले से जुड़े है और माल बाहर से लाकर उसे देते है अब तो मोनू मिश्रा उर्फ मनीश मिथा कई बड़ी पार्टियों जो सीतापुर प्रयागराज बनारस गोण्डा कुशीनगर आदि के है से जुड़ गया है। वह लोग उसके घर पर ही माल पहुंचा देते है। जब कही से माल (गांजा) उसके पास नहीं पहुँचता तभी यह हम दोनों से माल (गांजा) लेता है और बेचता है। क्योंकि हम दोनों में कह रखा है कि हम लोग माल तुम्हारे घर घर नहीं पहुंचायेंगे। उपरोक्त बात होने के दौरान ही प्रभारी निरीक्षक राजू राव थाना फरधान व क्षेत्राधिकारी मितौली श्री यादवेन्द्र यादव भी मौके पर आ गये है। जिनके द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता तस्दीक कर दोनों उपरोक्त व्यक्तियों विवेक तिवारी व शिवा उर्फ प्रियांशु अवस्थी से पूरी जानकारी प्राप्त कर व नियमानुसार सहमति पत्र लेकर पुलिस बालों से सूचना आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर दोनों व्यक्तियों की जामा तलाशी मौके पर नियमानुसार अपने सामने कराई गयी तो प्रथम व्यक्ति विवेक तिवारी के कब्जे में लिये गये बैग के अन्दर खाकी रंग की टेप चारों तरफ से अच्छी तरीके से लगी हुयी एक बण्डल बरामद हुआ। जिसके अन्दर हल्की गुलाबी रंग की पालीथीन के अन्दर चिपड (गांजा) बरामद हुआ जिसका वजन क्षेत्राधिकारी की गाड़ी में मौजूद तौल यन्त्र के माध्यम से तौल की गयी तो उक्त बण्डल का वजन मय पालीथीन व टेप के 5.107 किग्रा0 पाया गया। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति शिवा उर्फ प्रियान्शु अवस्थी के कब्जे से लिये गये में से भी खाकी रंग की चारों तरफ टेप से अच्छी तरीके से कसा हुआ एक बण्डल बरामद हुआ जिसके टेप को हटाकर देखा गया तो गुलाबी रंग की पालीथीन में चिप्पड़ (गांजा) बरामद हुआ जिसका वजन मय टेप पालीचीन के 5.028 किग्रा0 है। दोनों व्यक्तियों से गांजा रखने व लेकर चलने परिवहन करने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा

गया तो दोनों ही अपनी अपनी गलती की माफी मांगते हुये कोई वैध कागजात नहीं दिखा सके। क्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार दोनों पैकेटों में से अलग अलग 100–100 ग्राम गांजा बतौर नमूना अलग अलग पालीथीन में लेकर अलग अलग कपड़ों में तथा बरामद मालों (गांजा) उपरोक्तानुसार उन्हीं बैगों में रखकर अलग अलग सील सर्व मुहर कर माल व नमूना का नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर दोनों व्यक्तियों को उनके द्वारा किये गये अपराध व उपरोक्त मोटर साइकिल से गांजा परिवहन करने के अपराध धारा 8/20/29/60 एन0डी0पी0एस0एक्ट का विधिवत बोध कराकर मौके पर मा० मानवाधिकार आयोग व उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये कारण गिरफ्तारी बताकर उपरोक दोनों व्यक्तियों विवेक तिवारी व शिवा उर्फ प्रियांशु अवस्थी को अन्तर्गत धारा 8/20/29/60 एन0डी0पी0एस0एक्ट के हिरासत पुलिस समय 03:40 ए0एम0 पर लिया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नही किया है उसे रंजिशन झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त को सह अभियुक्त के बयान के आधार पर वांछित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को मौके पर पकड़ा नही गया है न ही उसके पास से कोई बरामदगी हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार में है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा मिली जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारो पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहअभियुक्तगण के पास से पुलिस द्वारा भारी मात्रा मे गांजा बरामद किया गया है, सह अभियुक्तगण द्वारा गांजा को प्रार्थी/अभियुक्त के हाथ बिक्री करने के लिए ले जाने की बात कही गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मौके पर पकड़ा नही गया है, न ही उसके पास से कोई बरामदगी हुयी है

प्रार्थी/अभियुक्त का नाम मौके से पकड़े गए सह अभियुक्तगण के बयान के आधार पर प्रकाश मे लाया गया है प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्तग का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। मौके पर पकड़े गए सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व मे स्वीकार की जा चुकी है।

8. उभयपक्षों के तर्कों पर विचार करने तथा प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मोनू मिश्रा उर्फ मनीष कुमार द्वारा रू0 1,00,000/—रूपये की धनराशि का स्वबंधपत्र एवं इसी धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायः—

1—अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

2—अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

3—अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

4—माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन—जी—2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17—12—2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभू के स्थायी व अस्थायी पते के विवरण के साथ प्रतिभू के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किये जायेंगे।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
08.06.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.10 15:21:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court